न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 66/2022

रोशन साव वगै. -बनाम- धानेश्वरी देवी वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 144)

का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

27.09.22

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया। तत्पश्चात वादगत भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 लागू करने हेतु अंचल अधिकारी, डुमरी तथा थाना प्रभारी, निमियाँघाट से वादगत भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गई। थाना प्रभारी, निमियाँघाट के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें वादगत भूमि से संबंधित उभय पक्षों में विवाद एवं तनाव को प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षों के नाम से नोटिस किया गया एवं निम्नलिखित भूमि को प्रतिबंधित किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा समर्पित संशोधन आवेदन पत्र के आलोक में समर्पित दस्तावेज से मिलान करते हुए संशोधन स्वीकृत किया गया एवं वादगत भूमि की विवरणी इस प्रकार से है :-

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
पोरैया	0161	1/34	129/713	54 डी0 के मध्ये 16.75 डी0

निमियाँघाट थाना के जाँच अधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खाता नं0 1/34, प्लॉट नं0 129/713 रकवा 54 डी0 के मध्ये रकवा सवा अठाईस डी0 भूमि को प्रथम पक्ष के पिता, चाचा एवं फुआ तीनों मिलकर द्वितीय पक्ष को बिक्री किए हैं। प्रथम पक्ष का कहना है कि उनके पूर्वज से द्वितीय पक्ष जो जमीन खरीद किए थे वह जमीन जी0टी0रोड एन0एच0 2 में चला गया है एवं द्वितीय पक्ष ने भी बताऐ कि हमलोगों का जमीन जी0टी0रोड एन0एच0 2 में गया है परन्तु जमीन का कुछ शेष भाग बच गया है उसी में अपना दिवार उठा रहे हैं तथा दक्षिण तरफ से करीब 6 फिट एवं जी0टी0रोड से सटे उतर तरफ से 5 फिट दिवार उठा लिए हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है।

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपना-अपना कारणपृच्छा दाखिल किया गया।

---- **प्रथम पक्ष** ----

➢ प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन एवं कारणपृच्छा के साथ संलग्न दस्तावेज:-

1. अपठनीय हुकूमनामा की छाया प्रति।
2. फर्द रिपोर्ट अमीन-बाबत पैमाईस की छाया प्रति।
3. मालगुजारी रसीद वर्ष 2011-12 की छाया प्रति।

प्रथम पक्ष के समर्पित कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि

वादगत भूमि मौजा पोरैया, थाना नं0 161, खाता नं0 01/34, प्लॉट नं0 129/713, रकवा 54डी0 भूमि प्रथम पक्ष के पूर्वज लछु हलवाई को भूतपूर्व जमीन्दार बहादुर इनकम्बर्ड स्टेट हजारीबाग से हुकूमनामा द्वारा दिनांक 07.07.1935 को हासिल है। लछु हलवाई प्रथम पक्ष के परदादा है। इनके मृत्यु के उपरान्त प्रथम पक्षगण उपरोक्त खाते की भूमि पर घरैया बंटवारा के अनुसार अपने-अपने हक-हिस्से की भूमि पर दखलकार है। उपरोक्त भूमि का अधिकांश हिस्सा एन.एच. 2 के चौड़ीकरण के समय सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, शेष जमीन पर प्रथम पक्षगण का दखल है। उक्त भूमि के शेष बचे भाग पर द्वितीय पक्ष बाजबरन बल पूर्वक कब्जा करना चाहते है। इसी वजह से प्रथम पक्ष के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत यह वाद न्यायालय में लाया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उक्त वादगत भूमि को प्रथम पक्ष के हक में रिक्त करने तथा द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया गया।

---- **द्वितीय पक्ष** ----

- द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने कारणपृच्छा के साथ समर्पित दस्तावेज :-
  1. निबंधित दस्तावेज सं0 6987 दिनांक 21.06.1991, 9583 दिनांक 29.06. 1990, 7668 दिनांक 28.5.1990, 11927 दिनांक 14.11.1991, 1381 दिनांक 04.02.1991 तथा 10185 दिनांक 16.07.1990 की छाया प्रति।
  2. मालगुजारी रसीद सं. 0523984, 098999 की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि मौजा पोरैया, थाना नं0 161, खाता नं0 01/34, प्लॉट नं0 129/713, रकवा 54डी0 के बंदोबस्ती रैयत, लछु हलवाई के वंशज बैजनाथ हलवाई, अनन्त लाल हलुवाई, चोहनी देवी, रेशमी देवी ने सम्मिलात विभिन्न निबंधित दस्तावेजों के माध्यम से बिक्री कर दिया गया है, जिसमें सभी क्रेता खरीदगी के समय से हीं शांतिपूर्ण दखलकार हैं। क्रय की गई भूमि का अंश भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के समय अधिग्रहण किया गया जिसका मुआवजा भी क्रेताओं ने अपना-अपना प्राप्त किया एवं शेष बची भूमि पर दखलकार हैं। प्रथम पक्ष दबंगता पूर्वक द्वितीय पक्ष के शेष बचे भूमि को हड़पना चाहते हैं। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उक्त वादगत भूमि को द्वितीय पक्ष वाद की कार्रवाई से मुक्त करने तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को संपुष्ट करने का आग्रह किया गया है।

---- **विवेचना** ----

उभय पक्षों के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मूलतः वादगत भूमि की प्रकृति गैरमजरूआ खास है। प्रथम पक्ष के पूर्वज उक्त भूमि का विभिन्न निबंधित दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न क्रेताओं को बिक्री कर दिया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कुल रकवा 54 डी0 भूमि में से कितनी भूमि उनके पूर्वजों के द्वारा बिक्री की गई है साथ हीं कितनी भूमि भू-अर्जन के उपरान्त शेष बची है। द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में भी यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि कितनी भूमि का भू-अर्जन किया गया और कितना भूमि शेष बचा है।

जिसके कारण उक्त वादगत भूमि में भू-अर्जन के उपरान्त कितना भूमि किसके हिस्से का बचा है यह स्पष्ट नहीं हो सका।

---- आदेश ----

उभय पक्ष के द्वारा समर्पित दस्तावेज, कारणपृच्छा के अवलोकन करने एवं विज्ञ अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष के पूर्वजों द्वारा हुकूमनामा द्वारा प्राप्त गैरमजरूआ खास किस्म की भूमि को विभिन्न निबंधित दस्तावेजों के माध्यम से द्वितीय पक्षकारों को बिक्री किया गया है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 2 के चौड़ीकरण के समय सरकार द्वारा अधिग्रहण भी किया गया है एवं उसका मुआवजा भी संबंधित को प्राप्त हुआ है। परन्तु कितनी भूमि अधिग्रहित की गई एवं कितनी भूमि किनके हिस्से में शेष बची यह स्पष्ट नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का विधिक आदेश पारित करना विधिसम्मत नहीं होगा। साथ हीं यह मामला मूल रूप में हक-हिस्से एवं दखल से संबंधित है जिसका निष्पादन करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर मामले का निष्पादन कर सकते हैं।

द0प्र0सं0 की धारा 144 के उपधारा 4 के आलोक में आज प्रस्तुत वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है, अतएव प्रथम पक्ष के आवेदन एवं निमियाँघाट पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त की जाती है एवं अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं संशोधित

27.09.22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

27.09.22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2022.11.28 16:00:24 +05:30
Location: 192.168.1.2